राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र बलाना

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 25/2016
दायरा तिथि 02.05.2016
आदेश तिथि 02.06.2017

प्रार्थी– **बनामः** **अप्रार्थीगण–**

अर्जुनसिंह पुत्र मानसिंहजी जाति राजपूत निवासी सामुजा तहसील आहोर जिला जालोर (राजस्थान)

1–पारसकंवर पुत्री बचनसिंहजी पत्नी हनुमानसिंहजी जाति राजपूत निवासी बडाखेडा तहसील बरलीयास जिला भीलवाडा (राज.)
2–मोहनकंवर पुत्री बचनसिंहजी पत्नी लाडसिंहजी जाति राजपूत निवासी मोतीपुरा तहसील बेगुं जिला चित्तौडगढ (राज.)
3–बेबीकंवर पत्नी बचनसिंहजी
4–देवीसिंह पुत्र बचनसिंहजी
5–हनवंतसिंह पुत्र बचनसिंहजी जातिगण राजपूत निवासीगण बलाना तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 आर.एल.आर.एक्ट,1956

(बविरूद्ध म्युटेशन अपील सं. 21/2015 श्रीमती पारसकंवर वगैरा बनामः हनवंतसिंह वगैरा निर्णय दिनांक 18.03.2016)

–: आ दे श :–

आदेश तिथि 02.06.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प– अटल सेवा केन्द्र बलाना में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार प्रार्थी स्वयं, अप्रार्थी सं.02 लगाय 05 उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में भू–अभिलेख निरीक्षक तखतगढ ने वादग्रस्त भूमि से संबंधित राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि एवं पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रश्नगत् निर्णित म्युटेशन अपील सं. 21/2015 श्रीमती पारसकंवर वगैरा बनामः हनवंतसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2016 की पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र कतिपय प्रावधानों के तहत एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र व शपथपत्र निम्न आधारित तथ्यों पर प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा बलाना, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा 1055 रकबा 4.00 हेक्टर बचनसिंह, गुमानसिंह पि. प्रतापसिंहजी के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी थी. बचनसिंहजी की मृत्यु होने के बाद उक्त आराजी फौतेदगी म्युटेशन सं. 3[illegible] [illegible] 2000 दर्ज किया गया जिसके जरिए उक्त आराजी उनके उत्तराधिकारी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

लगाय 05 बेबीकंवर पत्नी बचनसिंहजी, हनवंतसिंह, देवीसिंह पि.बचनसिंहजी के नाम दर्ज हुई। कथित म्युटेशन दर्ज होने के बाद उक्त आराजी में अप्रार्थी बेबीकंवर व देवीसिंह ने अपना हिस्सा पंजीकृत हकतर्कनामा सं.107/2006 दिनांक 21.01.2006 के जरिए हनवंतसिंह पुत्र बचनसिंहजी के पक्ष में हकतर्क कर कब्जा सुपुर्द किया जिससे सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि म्युटेशन के जरिए हनवंतसिंह के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात् उक्त खसरा 1055 रकबा 4.00 हेक्टर के बारे में खातेदार हनवंतसिंह पुत्र बचनसिंहजी व गुमानसिंह पुत्र प्रतापसिंहजी के मध्य विभाजन हुआ जिसके म्युटेशन सं. 724/25.03.2008 द्वारा खातेदार हनवंतसिंह के हिस्से में रकबा 2.00 हेक्टर व खातेदार गुमानसिंह पुत्र प्रतापसिंहजी के हिस्से में रकबा 2.00 हेक्टर दर्ज हुई। अप्रार्थी हनवंतसिंह ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में से रकबा 1.12 हेक्टर भूमि पंजीकृत विक्रेय विलेख द्वारा प्रार्थी को बैचान कर मौके पर विभक्त कब्जा सुपुर्द किया, जिसके खसरा नं. 1055/2 दर्ज किए जाकर म्युटेशन के जरिए उक्त खरीद सुदा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज की गई।

(2) कि इसके अलावा प्रार्थी ने कथित प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त खरीद की गई भूमि में से प्रार्थी द्वारा रकबा 0.24 हेक्टर भूमि महेन्द्रसिंह पुत्र सवाईसिंहजी निवासी वासनी भाटियान को, रकबा 0.24 हेक्टर भूमि हीराराम पुत्र पेकाजी देवासी निवासी तखतगढ को, रकबा 0.24 हेक्टर भूमि मनोहरसिंह पुत्र डूंगरसिंहजी राजपूत को तथा रकबा 0.16 हेक्टर भूमि हीराराम पुत्र जेसारामजी प्रजापत निवासी नयाखेडा को पंजीकृत विक्रय विलेखों द्वारा बैचान कर मौके पर विभक्त कब्जा सुपुर्द किया, जिसका म्युटेशन द्वारा खसरा नं.1055/3, 1055/4, 1055/5 एवं 1055/6 दर्ज किए गये। राजस्व अभिलेख जमाबंदी में खसरा नं. 1055 की भूमि प्रार्थी व अन्य के नाम दर्ज होकर मौके पर उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी है जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को होते हुए जानबूझ कर प्रश्नगत् म्युटेशन अपील सं.21/2015 में प्रार्थी व क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाया गया और अप्रार्थीगण आपस में Collusion कर न्यायालय के समक्ष सही व सारभूत तथ्यों व दस्तावेजों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत् म्युटेशन अपील का दिनांक 18.03.2016 को निर्णय कराया है जिससे प्रार्थी व अन्य क्रेतागण व्यथित हुए है एवं अपने हक–अधिकार से प्रभावित हुए है जिन्हें पक्षकार बनाये बिना व समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रश्नगत् म्युटेशन अपील का निर्णय प्राकृतिक न्याय (Natural Justic) के विरूद्ध होने से पुनरावलोकन (Review) किए जाने योग्य है। इसके अलावा प्रश्नगत् म्युटेशन अपील अन्तर्गत लिए गये निर्णय में धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है जो विधिक त्रुटि होने से एवं प्रश्नगत् म्युटेशन अपील म्याद बाहर होने से उक्त निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। अतः प्रश्नगत् मामले में पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथपत्र में वर्णित उचित व पर्याप्त कारणों के आधार पर पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र के डिले को कन्डोन करते हुए प्रार्थी का कथित पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रश्नगत् म्युटेशन अपील सं. 21/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2016 को अपास्त करके प्रश्नगत् म्युटेशन अपील में पुनः सुनवाई हेतु आदेश प्रदान करावे।

(3) कि प्रार्थी का कथित पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थी सं.01 व 02 ने जवाब पेश कर पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों व तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत् भूमि खसरा नं.1055 रकबा 4.00 हेक्टर के खातेदार बचनसिंहजी की मृत्यु बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारी अप्रार्थी सं.01 व 02 की जानकारी के बिना ही अपीलाधीन फौतेदगी म्युटेशन सं. 370 भरा गया

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

जिसे अप्रार्थी सं.01 व 02 खुद स्व.बचनसिंहजी की जांयदा पुत्रिया होने से अपने कानूनी हक–अधिकारों की रक्षा हेतु म्युटेशन अपील सं. 21/2015 द्वारा चुनौती दी गई और उक्त प्रश्नगत् म्युटेशन प्रथमतः अवैध एवं ab intio void यानि कि शून्य होने से न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.03.2016 को न्यायसंगत निर्णय पारित कर अपीलाधीन फौतेदगी म्युटेशन सं. 370 को खारिज किया है, जो निर्णय किसी भी स्थिति में पुनरावलोकन (Review) किए जाने योग्य नहीं है। उक्त म्युटेशन अपील बावत् अप्रार्थी सं.01 व 02 का बकाया अप्रार्थीगण से कभी भी कोई Collusion नहीं रहा है। वैसे भी कानूनन प्रश्नगत् म्युटेशन अपील सं. 21/2015 में प्रार्थी पक्षकार नहीं होने से आर.एल. आर.एक्ट,1956 की धारा 86 (2) (iii) के तहत प्रार्थी को पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है, जिस कारण उक्त पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अप्रार्थी सं.01 व 02 ने अपने जवाब में यह भी निवेदन किया कि उनके विधिक हक–अधिकार की भूमि को प्रार्थी विधि–विरूद्ध हडप करना चाहता है जो न्यायसंगत नहीं है। वैसे प्रार्थी का कोई हित प्रभावित होता है तो वह अपने हित की घोषणा सक्षम न्यायालय से करवा सकता है, परन्तु प्रश्नगत् म्युटेशन अपील को पुनरावलोकन (Review) कराने के लिए प्रार्थी कानूनन अधिकारी नहीं है, जिस कारण प्रार्थी का पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

(4) कि साथ ही अप्रार्थी सं.01 व 02 ने अपने जवाब में यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन फौतेदगी म्युटेशन सं.370 विधि–विरूद्ध, अवैध व शून्य था जिससे प्रश्नगत् म्युटेशन अपील में वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति को प्रस्तुत करना अप्रार्थी सं.01 व 02 के लिए कानूनन जरूरी नहीं था तथा प्रश्नगत् म्युटेशन अपील निर्णय अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम की विधित्रुटि बावत् प्रार्थी को उजर लेने का कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि प्रश्नगत् म्युटेशन अपील में प्रार्थी पक्षकार ही नहीं था, इसके अलावा हकतर्क में मौखिक हकतर्क का कानूनी प्रावधान नहीं है, ना ही अप्रार्थी सं.01 व 02 ने किसी अन्य अप्रार्थी के पक्ष में हकतर्क या खातेदारी बदलने बावत आपसी सहमति दी है, टंकन भूलवश म्युटेशन के वर्ष में गलती रह गई है तो वह न्यायालय क्षेत्राधिकार की बात है। इसलिए उल्लेखित कारणों से भी पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। इसके अलावा अप्रार्थी सं.01 व 02 ने अपने जवाब में यह भी निवेदन किया कि पुनरावलोकन (Review) के लिमिटेड अधिकार न्यायालय के पास है जो कि प्रश्नगत् निर्णय/आदेश में तननिकी भूल को सुधार कर सकते है, किसी पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र में वर्णित नये तथ्यों व बिन्दुओं के आधारित प्रश्नगत् निर्णय/आदेश को बदला नहीं जा सकता है। अतः उल्लेखित व आधारित कारणों के फलस्वरूप प्रार्थी का पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

(5) कि प्रश्नगत् मामले में पक्षकारों की दलील एवं राजस्व लोक अदालत की मंशा के अनुरूप सुलभ न्याय हेतु हमने, पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अभिव्यक्त कथनों/तथ्यों तथा मूल प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज क्रमशः म्युटेशन अपील सं.21/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2016, ग्राम बलाना के खसरा नं.1055 व अन्य की जमाबंदी संवत् 2072–75, हकतर्कनामा दिनांक 21.01.2006, ग्राम बलाना के खसरा नं.1055 की जमाबदिया संवत् 2052–55, 2056–59, 2060–63, 2064–67, 2072–75, हकतर्कनामा दिनांक 18.07.2012 इत्यादि एवं बरोज आज प्रार्थी अर्जुनसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों/तथ्यो एवं संलग्न साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः परिवाद म्युटेशन अपील, जमाबंदी संवत् 2056–59, म्युटेशन सं.

लगातार–4

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

370, पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र रा.वि. 25/2015 में पारित आदेश तालिका दिनांक 02.05.2016, वचनसिंह की मृत्यु का प्रमाण पत्र, हकतर्कनामा दिनांक 18.07.2012 इत्यादि के बारे में मनन व विचारण किया, साथ ही प्रश्नगत् म्युटेशन अपील सं. 21/2015 निर्णय दिनांक 18.03.2016 से संबंधित मूल पत्रावली व संलग्न साक्ष्य–दस्तावेज इत्यादि के संदर्भित विचारण किया। इसके अलावा प्रश्नगत् मामले से संबंधित कतिपय प्रावधान अन्तर्गत धारा 86 आर.एल.आर.एक्ट,1956 एवं सपठित आदेश–47, नियम–1 सी.पी.सी. के अन्तर्निहित प्रावधानों पर गहण मनन व विचारण किया।

(6) कि प्रश्नगत् मामले में उल्लेखित वाद–विषयक तथ्यों व बिन्दुओं पर विचारण करने के पश्चात् और कतिपय प्रावधान अन्तर्गत धारा 86 आर.एल.आर.एक्ट,1956 एवं सपठित आदेश–47, नियम–1 सी.पी.सी. के अन्तर्निहित प्रावधानों पर गहण विचारण करने के पश्चात् हमने यह पाया है कि प्रथमतः प्रश्नगत् म्युटेशन अपील में प्रार्थी किसी भी पक्ष के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं था, ना ही प्रश्नगत् म्युटेशन अपील में प्रार्थी द्वारा अपने हितबद्ध हेतु विधिक कार्यवाही की गई। द्वितीयतः पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा अभिव्यक्त किए गये कथन व उजर तथ्य, प्रश्नगत् म्युटेशन अपील में अभिव्यक्त किए गये कथनों व तथ्यों से भिन्न है अर्थात पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नवीन तथ्यों को दर्शाया है, चूंकि प्रश्नगत् म्युटेशन अपील में अपीलांट्स पारसकंवर व मोहनकंवर जो कि इस पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं.01 व 02 के रूप में संयोजित है, ने अपने पिता स्व. बचनसिंहजी की विधिक उत्तराधिकारी होते हुए तथाकथित कृषि भूमि बाबत् प्रश्नगत् म्युटेशन सं.370 द्वारा अपने कानूनी हक व अधिकार से महरूम रहने पर ही संबंधित पक्षकारों के विरूद्ध प्रश्नगत् म्युटेशन अपील सं.21/2015 दायर करवायी थी जिसका निर्णय दिनांक 18.03.2016 को होकर तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का स्पष्ट विवेचन किया जाकर कथित म्युटेशन अपील स्वीकार हुई है एवं प्रश्नगत् म्युटेशन सं.370 को निरस्त करके उक्त प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को इस दिशा–निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया कि स्व.बचनसिंहजी के विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारियों के बारे में सम्पूर्ण जांच कर विचारण म्युटेशन निस्तारण की पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। इस प्रकार तथाकथित म्युटेशन अपील सं.21/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2016 में ऐसी कोई परिलक्षित या प्रत्यक्ष त्रुटि होना अर्थात "error apparent on the face of record" जाहिर नहीं होता है। इसके अलावा इस प्रकरण अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई आधारित साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया है, जिससे कि प्रश्नगत् म्युटेशन अपील सं.21/2015 के निर्णय दिनांक 18.03.2016 में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत होता हो। साथ ही कतिपय प्रावधान आर.एल.आर.एक्ट,1956 की धारा 86 के अन्तर्निहित सपठित आदेश–47, नियम–1 सी.पी.सी. के प्रावधान अन्तर्गत सीमित आधारों तक ही पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र पर विचार व मनन किया जा सकता है। इसलिए हमारे विधिक मतानुसार पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रश्नगत् म्युटेशन अपील निर्णय में बिना किसी आमुख दृष्ट्व्य त्रुटि से परिवर्तन करना न्यायोचित नहीं समझते है। जबकि प्रश्नगत् म्युटेशन अपील निर्णय में ऐसी कोई प्रत्यक्ष त्रुटि अर्थात "error apparent on the face of record" जाहिर नहीं होती है और यह भी स्पष्ट है कि पुनरावलोकन (Review) की कार्यवाही किसी भी स्थिति में सिविल प्रक्रियां संहिता के आदेश–47, नियम–1 की परिधीय से बाहर नहीं होनी चाहिए और ना ही पुनरावलोकन (Review) की कार्यवाही अपीलीय उपमार्ग हो सकती है, इस प्रकार उक्त विधिक व आधारित तथ्यों के पृष्ठांकन में अनेक न्यायिक उद्धरणों में सिद्धान्त व व्यवस्थाऐं प्रतिपादित हो रखी है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

लगातार–5

Scanned by CamScanner

चूंकि उपरोक्त विश्लेषणात्मक व विवेचित तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत् मामले में प्रार्थीपक्ष की तथाकथित दलीलों से हम सहमत नहीं है, परन्तुक, अप्रार्थीपक्ष की तथाकथित दलीलों से हम पूर्णतः सहमत है और इस संदर्भित सम्पूर्ण स्थिति पर विचारण करने के पश्चात हमारी विधिक राय है कि प्रार्थी का प्रश्नगत् पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इस पत्रावली अन्तर्गत गत् आदेश तालिका दिनांक 02.05.2016 को पारित अन्तरिम आदेश अपास्त करते हुऐ, इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थी का यह पुनरावलोकन (Review) प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इस पत्रावली अन्तर्गत गत् आदेश तालिका दिनांक 02.05.2016 को पारित अन्तरिम आदेश को अपास्त करते हुए, इसे सव्यय खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 02.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–बलाना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner